हादसे को दावत दे रहे जमीन पर खुले में रखे ट्रांसफार्मर

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। बरसात के मौसम में बिना सुरक्षा बाड़ के जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर हादसों को दावत दे रहे हैं। बरसात में जलभराव की हालत में यह ट्रांसफार्मर और भी घातक हो सकते हैं लेकिन विद्युत निगम न तो इनकी घेराबंदी करवा रहा है और न ही पर्याप्त इंसुलेशन जिससे कि करंट उतरने से होने दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है।

शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जा रहा है बावजूद इसके यहां की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था मानक के अनुरूप नहीं है। पूरे शहर में सड़क के किनारे ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। मानक के अनुसार तो इन्हें सड़क से दूर सुरक्षित जगह पर कम से कम छह चार फीट ऊंचे प्लेटफार्म पर रखा होना चाहिए या फिर दो से चार खंभों का फ्रेम बना कर आठ से दस फीट ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई पशु, अनियंत्रित वाहन इनसे न टकरा जाए। बरसात में या जलभराव की स्थिति में ये ऊपर होने के कारण पानी से सुरक्षित रहते हैं और करंट उतरने का डर नहीं होता। ट्रांसफार्मर से करंट लीक होकर खंभों या जमीन में न उतरे इसके लिए बाकायदा इंसुलेशन की व्यवस्था की जाती है तार और कनेक्टर पर रबर की मोटी स्लीव चढ़ाने का प्रावधान है।

इस सबके विपरीत शहर में हर जगह ट्रांसफार्मर खुले में जमीन पर रखे गए हैं। इनकी फेंसिंग भी नहीं की गई है। ऐसे में किसी पशु के या अनियंत्रित वाहन के इनसे सीधे टकराने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। भ्रष्ट नगर निगम के अधिकारियों ने शहर में ड्रेनेज सिस्टम की तो बली चढ़ा दी है ऐसे में बरसात में जलभराव होना आम बात है। एनआईटी, डबुआ, बल्लभगढ़ हो या सेक्टर सभी जगह जमीन पर रखे ये ट्रांसफार्मर जलभराव में घातक हो सकते हैं। मजबूरी में बिजली निगम को आपूर्ति भी रोकनी पड़ती है, यदि ये ट्रांसफार्मर मानक के अनुरूप बने होते तो ये समस्या न होती। इससे बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कागजों में ये ट्रांसफार्मर मानक के अनुरूप यानी चार फीट ऊंचे प्लेटफार्म पर ही स्थापित किए गए हों और इसे बनवाने के नाम पर किया गया खर्च अधिकारियों की जेब में चला गया हो।

बीती आठ जुलाई को फ्रेंड्स कॉलोनी में खुले तारों की चपेट में आने से तीन गायों की मौत हो गई थी। इससे पहले 24 जून को नीमका के फज्जूपुर गांव में करंट की चपेट में आने से भैंस की मौत हो गई। विद्युत विभाग के आंकड़े बताते हैं कि कोई भी वर्ष ऐसा नहीं बीता जिसमें खुले तारों की चपेट में आने से पांच से दस पशुओं की मौत न हुई हो या अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से एक-आध ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त न हुआ हो, बावजूद इसके विद्युत निगम कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा।

डीसी भी नहीं सील करा पाए अवैध पिनेकल टावर

रसूखदार टावर मालिक चंडीगढ़ से ले आए कार्रवाई रोके जाने का आदेश

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) डीसी विक्रम सिंह भी अवैध पिनेकल टावर को सील नहीं करा पाए। नियमों को ताक पर रख कर बनाए गए इस व्यावसायिक टावर को सील करने के डीसी के आदेश को खट्टर की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ने अपने चंडीगढ़ में बैठे आला 'भ्रष्टाचार मुक्त' अधिकारियों से रद्द करा दिया। वैसे यही काम डीसी विक्रम सिंह भी तो कर सकते थे लेकिन वे बेचारे ईमानदारी का बोझ ढोते रह गए। पिनेकल टावर के रसूखदार मालिकों की सरकार में इतनी पकड़ है कि कैग सहित कई जांचों में गलत पाए जाने के बावजूद आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी।

डीसी विक्रम सिंह ने बीते शुक्रवार पिनेकल टावर सील करने आदेश जारी किया। इसके लिए उन्होंने नगर निगम के एक्सईएन पद्मभूषण और एसई ओमबीर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। यह आदेश संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचने के साथ ही पिनेकल टावर के मालिकों के पास भी पहुंच गया। बस फिर क्या था मालिकों ने चंडीगढ़ में बैठे राजनीतिक आकाओं और सुविधाभोगी अधिकारियों से संपर्क किया। सोमवार आने से पहले ही चंडीगढ़ से कार्रवाई रोके जाने का आदेश आ गया।

बताते चलें कि सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला परिसर के पास मनोरंजन, सांस्कृतिक स्थल और होटल बनाने की योजना के तहत 1992 में तत्कालीन मुख्य प्रशासक सह निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग तथा नगर निगम प्रशासन की ओर से मेसर्स गोदावरी शिल्पकला प्राइवेट लिमिटेड को लक्कड़पुर गांव की राजस्व संपत्ति में 5.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। कंपनी को इस जमीन पर केवल मनोरंजन व सांस्कृतिक प्रकृति का निर्माण कार्य कराना था इसमें होटल की स्थापना भी शामिल थी। 1995 में नगर निगम ने नियम ताक पर रख कर कंपनी को पीएलपीए संरक्षित क्षेत्र में 3.93 एकड़ जमीन और आवंटित कर दी। कंपनी ने शर्तों के विपरीत जाते हुए सीएलयू, सबडिविजन आदि का उल्लंघन किया और इस जमीन पर व्यावयायिक टावर खड़ा कर दिया। पीएलपीए क्षेत्र होने के बावजूद वन विभाग से कोई अनापत्ति भी नहीं ली गई, न ही वन विभाग के अधिकारियों ने संरक्षित क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि पर आपत्ति की। 2011 में इस टावर को व्यावसायिक गतिविधि के लिए रसूखदारों को बेच दिया गया। दरअसल, यह सब नगर निगम, वन विभाग और राजस्व विभाग के खाऊ कमाऊ अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने 2021 में पीएलपीए अधिसूचित जमीन पर अवैध बहु मंजिला इमारत (पिनेकल टावर) निर्माण का खुलासा करते हुए इसमें 182.46 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता होने की रिपोर्ट दी। कैग ने इसके लिए नगर निगम, वन विभाग और राजस्व विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को दोषी ठहराया।

कैग रिपोर्ट आने के बाद अधिकारी अपने और पिनेकल टावर को बचाने की कवायद में जुट गए। अप्रैल 2021 में तत्कालीन निगमायुक्त ने पिनेकल टावर को सील करने का आदेश जारी किया लेकिन ऑडिट रिपोर्ट न होने का बहाना बना कर इसे टाल दिया गया। दबाव पड़ा तो आठ कार्यालय परिसर सील किए गए, इसमें चालाकी यह की गई कि उन कार्यालयों को सील नहीं किया गया जिनमें कोई व्यावसायिक गतिविधि चल रही थी बल्कि उनकी जगह बंद पड़े कार्यालयों को सील कर रिकॉर्ड मेनटेन किया गया। अब डीसी विक्रम सिंह ने टावर सील कराने का प्रयास किया लेकिन उनके नीचे बैठे भ्रष्ट अधिकारियों ने टावर मालिकों को आगाह कर उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया।

दरअसल डीसी विक्रम सिंह नगर निगम में बैठे चोरों के गिरोह पर भरोसा कर बैठे इसलिए गच्चा तो खाना ही था। उन्होंने टावर सील करने की कमान दागी नगर निगम के उन्हीं लुटेरे अधिकारियों को दे दी जिन्होंने इसे बनवाया था। निगम अधिकारी अपनी करतूत को कैसे बर्बाद होने देते तो उन्होंने मालिकों को बचाव करने का मौका दे दिया। डीसी को चाहिए था कि वह अवैध पिनेकल टावर को तोड़ने या सील करने का आदेश एसडीएम, तहसीलदार को देते तो यह काम हो जाता, निगम के भ्रष्ट अधिकारी सील करने के नाम पर लूट कमाई ही करना जानते हैं लेकिन कार्रवाई करना नहीं।

नगर निगम का खेल : कुत्तों पर खर्च किए तीस लाख से अधिक और रिकॉर्ड भी नहीं रखा

प्रीति दुबे, एनजीओ संचालक

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) नगर निगम के अधिकारी शहर का निजाम संभालने में भले ही नाकाम साबित हों लेकिन कार्यों के नाम पर रुपयों की बंदरबांट करने में सबसे आगे हैं। ताजा मामला शहर में कुत्तों की देखभाल और उनके प्रबंधन से जुड़ा है। निगम अधिकारियों ने तीन साल में पीएफए नाम की तथाकथित एनजीओ को करीब एक करोड़ रुपये का भुगतान कर डाला लेकिन एनजीओ ने कुत्तों के कल्याण, उनकी देखभाल के लिए क्या किया इसका कोई रिकॉर्ड तक नहीं रखा गया। आरटीआई डालने पर अधिकारी कुत्तों से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं नहीं उपलब्ध करा सके। नगर निगम ने शहर में पालतू, आवारा कुत्तों की देखरेख, उनके भोजन, टीकाकरण, नसबंदी आदि का जिम्मा पीएफए नाम की एनजीओ को दे रखा है इसकी संचालक प्रीति दुबे हैं। इनकी एनजीओ के पास कुत्तों से संबंधित कार्य 2014 से है। खास बात यह है कि नगर निगम के पास केवल 2018 तक के ही आंकड़े हैं, यानी 2019 से 2023 तक का रिकॉर्ड नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता नरेंद्र सिरोही को दिए गए जवाब में बताया गया कि 2014 से 2018 के बीच पीएफए ने 14,698 कुत्तों का टीकाकरण किया जिसके एवज में 1,24,81,050 यानी 849 रुपये प्रति कुत्ते की दर से भुगतान किया गया।

नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार बीते तीन वर्ष में पीएफए को ढाई लाख रुपये प्रति माह के औसत से भुगतान किया गया। आरटीआई कार्यकर्ता रवींद्र चावला ने नगर निगम से 2019, 2020 और 2021 में शहर में आवारा कुत्तों की संख्या, अब तक कितने कुत्तों का टीकाकरण किया गया, कितने कुत्तों की नसबंदी की गई, शहर में कितने पालतू कुत्ते हैं, कितने व्यक्तियों ने पालतू कुत्तों के लिए लाइसेंस लिया है, लाइसेंस नहीं बनवाने वाले कुत्ता मालिकों पर लगाए गए जुर्माने आदि की जानकारी मांगी तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। निगम के भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि एनजीओ ने अभी तक पूरे रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं कराए हैं, ऐसे में बिना रिकॉर्ड ही स्वास्थ्य कार्यालय का निजाम चलाया जा रहा है। एनजीओ ने तीन साल के कार्य काल में करीब एक करोड़ रुपये के बिल लगाए। निगमायुक्त जीतेंद्र दहिया ने ये बिल भुगतान किए जाने का आदेश भी जारी कर दिया जबकि एनजीओ यह आंकड़े नहीं उपलब्ध करा सकी कि इस धनराशि का उपयोग किस, किस मद में और कब किया गया। इस संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी प्रभजोत कौर से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, जवाब तो वह तब दें जब उनके पास कोई जवाब हो। मिलबांट के खाए गए माल का क्या हिसाब दे बेचारी।

आरटीआई को ठेंगे पर रखता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) एक ओर सरकार सूचना का अधिकार को कमजोर करने की जुगत लगाती रहती है तो उसके विभागों के अधिकारी उससे भी आगे निकल गए हैं। ये आरटीआई का आवेदन स्वीकार ही नहीं करते, मांग लो क्या जवाब मांगोगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों ने आरटीआई कार्यकर्ता को बैरंग लौटा दिया। अब राज्य सूचना आयोग ने विभाग के जनसूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का दफ्तर है। यह विभाग एक नशा मुक्ति केंद्र का संचालन कर रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता रवींद्र चावला के अनुसार उन्होंने इस नशा मुक्ति केंद्र का बहुत पता लगाया लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। ऐसे में उन्होंने दिसंबर 2022 में विभाग में आरटीआई लगा कर नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी मांगने का प्रयास किया लेकिन विभाग में किसी ने उनकी आरटीआई ली ही नहीं।

उन्होंने सात बिंदुओं की आरटीआई पंजीकृत डाक द्वारा विभाग को भेजी। 22 दिसंबर 2022 को पहुंची डाक को विभाग के अधिकारियों ने लेने से ही इनकार कर दिया। डाक वापस चावला के पास लौट आई।

चावला के अनुसार उन्होंने विभाग से जानना चाहा था कि फरीदाबाद में कितने लोग नशे के व्यसनी हैं इसके लिए विभाग ने 2018 से दिसंबर 2022 तक कितने स्टडी-सर्वे किए। नशा करने वालों की काउंसलिंग कहां की जाती है और कौन करता है, उसकी शैक्षणिक योग्यता और विशेषज्ञता की जानकारी। 2018 से 2022 तक नशा मुक्ति केंद्र में कितने लोग भर्ती हुए और उनमें से कितनों ने स्वास्थ्य लाभ कर नशा छोड़ा उनकी संख्या। केंद्र में भर्ती होने वालों में कितने प्रतिशत युवा हैं कितने बुजुर्ग, कितने बच्चे, कितने महिला, कितने पुरुष आयु वर्ग के आधार पर उनका वर्गीकरण। नशे के कारण केंद्र में भर्ती कितने लोग टीबी, हृदयरोग, सांस के रोग, कैंसर आदि गंभीर बीमारी का शिकार हुए। इन गंभीर बीमारियों के शिकार कितने लोगों को इलाज के लिए नशा मुक्ति से अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उनका आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र केवल कागजों में चल रहा है यही कारण है कि विभाग के अधिकारी गोपनीय होने का बहाना बना कर सूचना नहीं दे रहे। उन्होंने किसी नशे के शिकार व्यक्ति या इलाज कराने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी है बल्कि केवल नशा मुक्ति केंद्र में अब तक भर्ती होने वाले लोगों के संबंध में आंकड़े मांगे हैं। काउंसलर का पद और उसकी योग्यता तो गोपनीयता के दायरे में भी नहीं आते, लगता है कि नशा मुक्ति केंद्र में काफी कुछ गड़बड़ है तभी अधिकारी सूचना नहीं दे रहे।

रवींद्र चावला की शिकायत पर राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने सामाजिक अधिकारिता एंव न्याय विभाग के एसपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 10 अगस्त तक लिखित जवाब भेजने और 17 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।